

II. प्राधिकरण को दमन और दीव संघ राष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में पर्यावरण की क्वालिटी के संरक्षण और उसमें सुधार करने तथा पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण, डपशमन और नियंत्रण के लिए निम्नलिखित उपाय करने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(i) दमन और दीव प्रशासन से प्राप्त तटीय विनियमन जौन क्षेत्रों और तटीय जौन प्रबंध योजना (सी जेड एम पी) के वर्गीकरण में परिवर्तनों/उपांतरणों के प्रस्तावों की परीक्षा करना और उन पर राष्ट्रीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को वित्तिरिष्ट सिफारिशों करना।

(ii) (क) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों उपबंधों के अधिकारियों के व्यतिक्रम के मामलों की जांच करना और यदि आवश्यक हो किसी विनिरिष्ट मामले में उक्त अधिनियम की धारा 5 के अधीन निदेश जारी करना जहाँ तक ऐसे निदेशों का संबंध है ये उस विनिरिष्ट मामले में राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किसी निदेश से असंगत न हों।

(ख) उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों या किसी अन्य विधि के अधीन जो उक्त अधिनियम के उद्देश्यों से संबंधित हों, के उपबंधों के व्यतिक्रम वाले मामलों का पुनर्विलोकन करना और यदि आवश्यक पाया जाए तो राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण को ऐसे मामलों को टिप्पणियों सहित पुनर्विलोकन करने के लिए निरिष्ट करना;

परन्तु यह कि पैरा 2 के उपपैरा (ii) (क) और (ii)

(ख) के अधीन मामलों पर स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति, प्रतिनिधि निकाय या संगठन द्वारा की गई शिकायत पर कार्यवाई की जा सकेगी।

(iii) आदेश के पैरा II के उपपैरा (ii) (क) के अधीन इसके द्वारा जारी किए गए निदेशों के उल्लंघन के मामलों में उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन शिकायत फाइल करना।

(iv) आदेश के पैरा II के उप पैरा (i) और (ii) से उद्भूत विवादों से संबंधित तथ्यों का सत्यापन करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्यवाई करना।

III. प्राधिकरण तटीय विनियमन जौन से संबंधित पर्यावरणीय विवादों का निपान करेगा जो दमन और दीव प्रशासन राष्ट्रीय तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण या केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे निरिष्ट किए जाएँ।

IV. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जौन में पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करेगा और ऐसे पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र-विनिरिष्ट प्रबन्ध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा।

V. प्राधिकरण, अतिसंवेदनशील हाल/अवन्त तटीय क्षेत्रों की पहचान करेगा और इस प्रकार पहचान किए गए क्षेत्रों के लिए क्षेत्र विनिरिष्ट प्रबन्ध योजनाएं क्षेत्र विरचित करेगा।

VI. प्राधिकरण, तटीय विनियमन जौन में आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण विस्तारों की पहचान करेगा और उनके लिए एकीकृत तटीय जौन प्रबन्ध योजनाएं तैयार करेगा।

आदेश

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 1998

का.आ.998(अ).—के न्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986(1986 का 29) जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3)द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दमन और दीव तटीय जौन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) के नाम से ज्ञात इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए एक प्राधिकरण का गठन कारती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :—

प्रशासक	अध्यक्ष
दमन, द्विव, दादरा और नागर हवेली, सचिवालय प्रशासन सर्किट हाउस, मोतीदमन	सदस्य
2. कार्यालय इंजीनियर लोक निर्माण विभाग	सदस्य
मोती दमन	
3. मुख्य बन संरक्षक मोती दमन	सदस्य
4. निदेशक अंतरिक्ष उपयोजन केन्द्र अहमदाबाद	सदस्य
5. निदेशक केन्द्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान, मुम्बई	सदस्य
6. सदस्य सचिव प्रदूषण नियंत्रण समिति, मोती दमन	सदस्य-सचिव

- VII. प्राधिकरण, ऊपर पैरा IV, V, VI के अधीन इसके द्वारा तैयार की गई योजनाओं और उनके उपान्तरणों को राष्ट्रीय तटीय जॉन प्रबंध प्राधिकरण को परीक्षा और उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।
- VIII. प्राधिकरण, उन सभी विनिर्दिष्ट के शर्तों अनुपालन की सुनिश्चित करेगा, जो दमण और द्वीव की अनुमोदित तटीय जॉन प्रबंध योजना में अधिक थित हैं।
- IX. प्राधिकरण, उसके क्रियाकलापों की रिपोर्ट कम से कम छह महीने में एक बार राष्ट्रीय तटीय जॉन प्रबंध प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
- X. प्राधिकरण, की पूर्वगामी शक्तियां और कृत्य केन्द्रीय सरकार के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन होंगे।
- XI. प्राधिकरण का मुख्यालय दमण में स्थित होगा।
- XII. इस प्रकार गठित प्राधिकरण के विस्तार और अधिकारिता के विनिर्दिष्ट रूप से अंतर्गत न आने वाले किसी मामले का निपटान संबंधित कानूनी प्राधिकरणों द्वारा किया जाएगा।

[फा. सं. 17011/18/96-आई.ए.-III.]

के. रौय पौल, ऊपर सचिव